कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, दौसा

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/ बी–1/2856/ आरपीएससी–2013 /17–18 दिनांक 13.04.2018 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ सहायकों को निदेशालय स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से जिला एवं विद्यालय का चयन किये जाने के उपरान्त संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–05 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिये नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/– रू. प्रतिमाह / विद्यमान वेतन पर पूर्णतः अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। इनकी नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 तथा राज्य सरकार के प्रावधानानुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

उक्त नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय (कनिष्ठ सहायक) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2013 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 1693/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम अनिल कुमार व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 की अनुपालना में अस्थाई परिणाम दिनांक 07.07.2017 को घोषित किये जाने के उपरान्त तथा आवंटित पदों पर नियुक्तियों के संबंध में डी.बी.अपील संख्या 965/2017 राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम श्रवण सिंह में पारित आदेश दिनांक 03.11.2017 व अन्य याचिकाओं/अपीलों के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी तथा एसबीसी वर्ग में अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से अस्थाई रूप से स्पष्ट रूप से पाये गये अभ्यर्थी जिनका परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैप्टन गुरूवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेगी।

एसबी वर्ग में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्तियाँ पूर्णतया अस्थाई (Temporary) आधार पर रहेगी तथा नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर स्थाईकरण (Confirmation) का अधिकारी नहीं होगा । यह नियुक्ति आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1464–1466/2017 राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम कैपटन गुरुवेन्द्र सिंह एवं अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 09.05.2017 के अध्यधीन रहेगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट (जिसमें कोई प्रतिकूल प्रविष्ठी नहीं हो) प्राप्त की जावें। यह नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा परन्तु उन्हे अपने पूर्व पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त न्यूनतम शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, इसलिये जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्नता/ संदेह की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना/ प्रकरण भिजवाया जावे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावे। अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये। **यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो**

Scanned by CamScanner

उनको कार्यग्रहण नहीं कराया जावे एवम् वस्तु स्थिति सहित उनका आवेदन पत्र अग्रिम निर्देश/ कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।

6. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति के ओ.बी.सी. वर्ग के नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
7. कार्यग्रहण करने वाले आशार्थी का चेहरा एवं उसका आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो का मिलान कर, संतुष्ट होने पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से कर लेवें।
9. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
10. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
11. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/ क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे/ संदेह की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नही कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना/प्रकरण भिजवाया जाये।
13. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है, तो उनके मूल प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवम् प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एंव उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख मे रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें।
14. यदि आशार्थियो के पास नियमानुसार कनिष्ठ सहायक के पद की निर्धारित योग्यता नही हो तो आशार्थी कार्यग्रहण नहीं करें एवम् सम्बन्धित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावे। अभ्यर्थी के दस्तावेजो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करावे एवम् तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे ।
15. राज्य सरकार/ विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देश मान्य होंगे तदनुसार कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी पालना भी सुनिश्चित करेंगे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक **01.05.2018** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण करने की अथवा नहीं करने की सूचना तत्काल वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे **एवम् शाला दर्पण पर इसकी सूचना अपडेट करें।**

(डॉ. प्रेमवती शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा

क्रमांकः–जिशिअ/मा/दौसा/संस्था–1/आरपीएससी–13/कनि.लि./फा–नियुक्ति 2018/9259 दिनांक 16.04.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर।
8. सम्बन्धित संस्था प्रधान।
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी ....।(जरिये रजिस्टर्ड डाक)
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दौसा

क्रमांकः–जिशिअ/मा/दौसा/संस्था–1/आरपीएससी–13/कनि.लि./फा–नियुक्ति 2018/9259 दिनांक 16.04.2018

कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति आदेश

आदेश संख्या–1

क्र. स.	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यार्थी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री/ पिता का नाम/पता	जन्म दिनांक	आवेदित वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	वि.वि.
1	3899 A	नीलम गुर्जर पुत्री श्री राजाराम गुर्जर डी–27 मॉडल टाउन, मुर्गी फार्म के पास, आगरा रोड, जामडोली जयपुर। पिन 302031	26.08.1994	BC	OBCF	रा.मा.वि. गुढाआशिकपुरा, बांदीकुई जिला दौसा	—
2	232	दीपक कुमार सैनी पुत्र श्री पप्पू लाल सैनी नये उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के पास, गंगापुर रोड लालसोट जिला दौसा। पिन 303503	18.08.1995	BC	GENM	रा.मा.वि. बनासडी डिगो, लालसोट जिला दौसा	
3	283	रोहिताश भीण्डा पुत्र श्री अर्जन लाल भीण्डा ढहर की ढाणी, ईटावा भोपजी तहसील चौमू जिला जयपुर पिन 303804	19.07.1994	BC	GENM	रा.मा.वि. बागपुरा ढाणी (छारेडा) लवाण, जिला दौसा	
4	2698	लोकेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री हीरालाल गुर्जर ग्राम–पोस्ट खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा	20.09.1987	SB	OBCM	रा.उ.मा.वि. मूडघिस्या, बांदीकुई जिला दौसा	कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व इस कार्यालय से पूर्वानुमति आवश्यक

(डॉ. प्रेमवती शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक दौसा

Scanned by CamScanner